

## दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 08-05-2026

### विषय सूची

त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल की भूमिका  
प्रत्येक दिन 546 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में: एनसीआरबी आँकड़े  
केरल की तेल रिसाव आकस्मिकता योजना  
भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में संरचनात्मक घाटों का समाधान  
भारत का इस्पात क्षेत्र आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर  
AMOC की मंदी और उसके निहितार्थ

### संक्षिप्त समाचार

JANANI प्लेटफॉर्म

अनुच्छेद 26(b)

विद्यालय प्रबंधन समितियों के माध्यम से विद्यालय शासन का विकेंद्रीकरण

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB)

वडिनार शिप रिपेयर सुविधा

## त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल की भूमिका

### समाचार में

- तमिलनाडु के 2026 के विधानसभा चुनावों में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न हुई, जहाँ टीवीके (विजय की पार्टी) ने 234 सदस्यीय सदन में 108 सीटें जीतीं, जो बहुमत के लिए आवश्यक 118 सीटों से कम हैं।

### त्रिशंकु विधानसभा क्या है?

- जब कोई एकल राजनीतिक दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता, तब विधानसभा को "त्रिशंकु" कहा जाता है। ऐसी स्थिति में गठबंधन वार्ताएँ आरम्भ होती हैं तथा छोटे दलों अथवा निर्दलीय विधायकों के समर्थन पर निर्भरता बढ़ जाती है।
- इस परिस्थिति में राज्यपाल एक प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में यह निर्णय लेते हैं कि सरकार गठन के लिए प्रथम आमंत्रण किसे दिया जाए।

### संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 163:** राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करते हैं, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ उन्हें विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करना हो।
- **अनुच्छेद 164(1):** राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में सरकार गठन हेतु दलों को आमंत्रित करने में राज्यपाल विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हैं।
- **अनुच्छेद 163(2):** यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई विषय राज्यपाल के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है या नहीं, तो इस संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा तथा उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

### त्रिशंकु विधानसभा में राज्यपाल की भूमिका

- इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल उस दल अथवा गठबंधन को सरकार गठन हेतु आमंत्रित करते हैं, जिसे जनादेश प्राप्त हुआ हो तथा जिसने सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया हो।
- इसके पश्चात राज्यपाल मुख्यमंत्री पद के नामित व्यक्ति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने के लिए समय निर्धारित करते हैं।

- इसके अतिरिक्त, निर्वाचित विधायकों में सामान्यतः सबसे वरिष्ठ विधायक को अस्थायी अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) नियुक्त किया जाता है, जो विधायकों को शपथ दिलाते हैं तथा सदन में विश्वास मत का संचालन करते हैं।
- **फ्लोर टेस्ट (विश्वास मत):** यह विधायी निकायों में आयोजित एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि सरकार को सदन का बहुमत समर्थन प्राप्त है या नहीं। यह सदन के सदस्यों द्वारा मतदान के माध्यम से संपन्न होता है।
- यदि राज्यपाल इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विधानसभा की वर्तमान संरचना में कोई स्थायी सरकार नहीं बन सकती, तो वे केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा कर सकते हैं।

### राज्यपाल की भूमिका से संबंधित आयोगों की रिपोर्टें एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

- **सरकारिया आयोग रिपोर्ट (1983):** इस रिपोर्ट में कहा गया कि यदि किसी एक दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, तो उस दल के नेता को स्वतः मुख्यमंत्री बनने हेतु आमंत्रित किया जाना चाहिए।
- किन्तु यदि ऐसी स्थिति न हो, तो राज्यपाल को निम्नलिखित वरीयता क्रम के आधार पर मुख्यमंत्री का चयन करना चाहिए—
  - चुनाव-पूर्व गठित दलों का गठबंधन।
  - सबसे बड़ा एकल दल, जो निर्दलीयों सहित अन्य दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करे।
  - चुनाव-पश्चात गठित गठबंधन, जिसमें सभी सहयोगी दल सरकार में सम्मिलित हों।
  - चुनाव-पश्चात गठित ऐसा गठबंधन, जिसमें कुछ दल सरकार में सम्मिलित हों तथा अन्य दल अथवा निर्दलीय बाहर से समर्थन दें।
- **पुंछी आयोग (2007):** इस आयोग ने व्यापक रूप से सरकारिया आयोग की रूपरेखा का समर्थन किया, किन्तु यह भी जोड़ा कि राज्यपालों को राजनीतिक एजेंट के रूप में नहीं, बल्कि संवैधानिक निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए।
  - आयोग ने यह भी कहा कि बहुमत सिद्ध करने हेतु यथाशीघ्र फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए।

- साथ ही, चुनाव-पूर्व गठबंधनों को चुनाव-पश्चात गठबंधनों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि वे अधिक स्पष्ट जनादेश को प्रतिबिंबित करते हैं।

### सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:

- **एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994):** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल को उस दल अथवा गठबंधन के नेता को सरकार गठन हेतु आमंत्रित करना चाहिए, जिसके पास सदन में बहुमत हो, अथवा जो सबसे बड़ा दल/गठबंधन हो।
- **रमेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006):** न्यायालय ने समयपूर्व विधानसभा विघटन के विरुद्ध चेतावनी दी तथा यह स्पष्ट किया कि राजनीतिक दलों को सरकार गठन का उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
- **उत्तराखंड संकट से संबंधित निर्णय (2016):** सर्वोच्च न्यायालय ने फ्लोर टेस्ट को “अंतिम” एवं सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प बताया तथा तत्कालीन कांग्रेस मुख्यमंत्री हरीश रावत को सदन में बहुमत सिद्ध करने का निर्देश दिया।

Source: TH

## प्रत्येक दिन 546 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में: एनसीआरबी आँकड़े

### संदर्भ

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में यातायात दुर्घटनाओं में 1.99 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जो 2023 की तुलना में 0.79% अधिक है।

### प्रमुख निष्कर्ष

- यातायात दुर्घटनाओं में सड़क दुर्घटनाएँ, रेल दुर्घटनाएँ, रेलवे पटरियों अथवा रेलवे परिसरों में हुई घटनाएँ तथा रेलवे क्रॉसिंग पर हुई दुर्घटनाएँ सम्मिलित हैं।
- **सड़क दुर्घटनाएँ:** 2024 में दर्ज 1.99 लाख यातायात-संबंधी मौतों में से 1.75 लाख (88%) सड़क दुर्घटनाओं के कारण हुईं।

- केवल सड़क दुर्घटनाओं की सामाजिक-आर्थिक लागत भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 3.14% है।
- दोपहिया वाहन अधिकांश घातक सड़क दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं, इसके बाद पैदल यात्री और कारें आती हैं।
- तीव्र गति सबसे बड़ा कारक है, जो कुल सड़क मृत्यु का 58% है।
- मृत्यु दर के मामले में शीर्ष तीन राज्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं।

### भारत में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के कारण

- **अत्यधिक गति और लापरवाह ड्राइविंग:** तीव्र गति, खतरनाक ओवरटेकिंग, शराब पीकर वाहन चलाना और मोबाइल फोन का उपयोग प्रमुख कारण हैं।
- **खराब सड़क अवसंरचना:** गड्ढेदार सड़कें, अपर्याप्त संकेतक, खराब रोशनी और असुरक्षित सड़क डिजाइन दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ाते हैं।
- **यातायात नियमों का कमजोर प्रवर्तन:** अपर्याप्त निगरानी और असंगत प्रवर्तन के कारण सुरक्षा नियमों का पालन कम होता है।
- **उचित चालक प्रशिक्षण का अभाव:** कमजोर लाइसेंसिंग प्रणाली और अपर्याप्त शिक्षा के कारण अनुभवहीन और गैर-जिम्मेदाराना ड्राइविंग होती है।
- **वाहनों की तीव्र वृद्धि और यातायात जाम:** वाहन स्वामित्व में वृद्धि बिना सड़क अवसंरचना के विस्तार के, अव्यवस्थित और असुरक्षित यातायात स्थितियाँ उत्पन्न करती है।
- **आपातकालीन और ट्रॉमा देखभाल की कमजोरी:** चिकित्सा सहायता में देरी और अपर्याप्त ट्रॉमा देखभाल सुविधाएँ, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, दुर्घटनाओं के बाद मृत्यु दर बढ़ाती हैं।

### सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति, 2010:** बेहतर सड़क अवसंरचना, यातायात नियमों का सख्त प्रवर्तन, उन्नत आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ, जन-जागरूकता अभियान और दुर्घटना के बाद देखभाल पर बल दिया गया।

- **ई-डीएआर/आई-आरएडी:** सड़क दुर्घटना डेटा की रिपोर्टिंग, प्रबंधन और विश्लेषण हेतु केंद्रीकृत प्रणाली।
- **दुर्घटना पीड़ितों को शीघ्र सहायता:**
  - दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले “गुड समैरिटेन” को ₹25,000 का पुरस्कार।
  - **शीघ्र मुआवज़ा:** गंभीर चोट के लिए ₹2.5 लाख, मृत्यु के लिए ₹5 लाख।
  - **हिट-एंड-रन पीड़ितों के लिए उन्नत मुआवज़ा:** मृत्यु पर ₹2 लाख, गंभीर चोट पर ₹50,000।
  - तृतीय-पक्ष बीमा की सरल प्रक्रिया, जिसमें किराए के चालक भी शामिल।
- **वाहन फिटनेस:** पुराने और अनुपयुक्त वाहन दुर्घटनाओं में योगदान करते हैं। मंत्रालय ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मॉडल निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित किए हैं (2024 तक 28 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश शामिल)।
- **आईआईटी मद्रास सहयोग:** सड़क सुरक्षा हेतु उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, नए उत्पादों का विकास, अनुसंधान और सुरक्षा पहलों को बढ़ावा।
- **दुर्घटना ब्लैकस्पॉट सुधार:** राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना-प्रवण स्थलों की पहचान और इंजीनियरिंग उपायों द्वारा सुधार।
- **सड़क सुरक्षा ऑडिट:** सभी राजमार्ग परियोजनाओं में डिज़ाइन, निर्माण और संचालन चरणों पर अनिवार्य ऑडिट।
- **ब्रासीलिया घोषणा (2015):** भारत उन प्रारंभिक 100+ देशों में शामिल था जिन्होंने सतत विकास लक्ष्य 3.6 को प्राप्त करने हेतु 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मृत्यु और चोटों को आधा करने का संकल्प लिया।
- **मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019:** इस अधिनियम ने यातायात उल्लंघनों के लिए अधिक दंड निर्धारित किए, जिनमें तीव्र गति, शराब पीकर वाहन चलाना, हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना शामिल है।

### आगे की राह

- भारत ने सड़क सुरक्षा पर आईआईटी और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) जैसे प्रमुख संस्थानों के माध्यम से व्यापक शोध किया है।

- सरकार इन संस्थानों के साथ सहयोग कर नीतियों और कार्य योजनाओं में सुधार कर सकती है।
- कॉर्पोरेट क्षेत्र अनुसंधान को वित्तपोषित कर और जागरूकता फैलाकर सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने में योगदान दे सकता है।

Source: IE

## केरल की तेल रिसाव आकस्मिकता योजना

### समाचारों में

- केरल ने 2025 में केरल तट पर जहाज़ दुर्घटनाओं की घटनाओं के बाद समुद्री प्रदूषण और तटीय पर्यावरणीय जोखिमों से निपटने हेतु **तेल रिसाव आकस्मिकता योजना** तैयार करना प्रारंभ किया।

### तेल रिसाव क्या है?

- तेल रिसाव का अर्थ है पेट्रोलियम पदार्थों का पर्यावरण में, विशेषकर महासागरों और तटीय जल में, मानव गतिविधियों जैसे टैंकर दुर्घटनाएँ, अपतटीय ड्रिलिंग या ईंधन रिसाव के कारण फैलना, जिससे गंभीर प्रदूषण उत्पन्न होता है।

### प्रमुख कारण

- तेल जहाँ भी निकाला, परिवहन या उपयोग किया जाता है, वहाँ रिसाव हो सकता है और यह सामान्य है।
  - अधिकांश रिसाव छोटे होते हैं, जैसे जहाज़ में ईंधन भरते समय, परंतु ये भी संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र जैसे समुद्र तट, मैंग्रोव और आर्द्रभूमि को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- प्रमुख कारणों में टैंकर, पाइपलाइन, रिफाइनरी, ड्रिलिंग रिग, भंडारण सुविधाएँ और मनोरंजन नौकाओं से जुड़े हादसे शामिल हैं।
- रिसाव मानव त्रुटि, उपकरण विफलता, प्राकृतिक आपदाएँ (तूफ़ान, चक्रवात, तेज़ हवाएँ) या जानबूझकर किए गए कार्य जैसे तोड़फोड़ अथवा अवैध डंपिंग से हो सकते हैं।

### तेल रिसाव के परिणाम

- **समुद्री जीव-जंतु पर प्रभाव:** तेल रिसाव समुद्री जीवन को विषाक्त पदार्थों के संपर्क में लाकर हानि पहुंचाता है, पक्षियों की ऊष्मा-रोधक क्षमता और जीवित रहने की संभावना को घटाता है तथा मछलियों और अकशेरुकी जीवों की वृद्धि एवं प्रजनन को प्रभावित करता है।
- **जैव विविधता के लिए खतरा:** तेल रिसाव पशु जनसंख्या को समाप्त कर सकता है। विषैले पदार्थ खाद्य श्रृंखला में जमा होकर उच्च स्तरीय शिकारी, जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं, के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करते हैं।
  - यह दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं और जैव विविधता में कमी का कारण बन सकता है।
- **तटीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव:** मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ और दलदली भूमि जैसे तटीय पारिस्थितिक तंत्र विशेष रूप से जोखिम में होते हैं। तेल इन आवासों को नष्ट कर सकता है और आवश्यक पौधों व जीवों को मार सकता है। पुनर्प्राप्ति में दशकों लग सकते हैं और कुछ प्रजातियाँ विलुप्ति के खतरे में पड़ सकती हैं।
- **अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:** मछली पकड़ने और पर्यटन पर निर्भर समुदायों के लिए आर्थिक हानि गंभीर होता है। साथ ही, सफाई अभियान महंगा और लंबा होता है, जिससे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संसाधन हट जाते हैं।

### तेल रिसाव की सफाई के उपाय

- **स्किमिंग:** समुद्र की सतह से तेल हटाना ताकि वह तटवर्ती संवेदनशील क्षेत्रों तक न पहुँच सके।
- **इन-सीटू बर्निंग:** किसी क्षेत्र में केंद्रित तेल को जलाना।
- **रासायनिक विसर्जक का प्रयोग:** तेल को छोटे-छोटे कणों में तोड़ना, जिससे सूक्ष्मजीव उसे आसानी से खा सकें और कम हानिकारक यौगिकों में बदल सकें।
  - यद्यपि ये उपाय उपयोगी हैं, कुछ समुद्री जीवन को हानि पहुँचा सकते हैं और मैनुअल सफाई श्रमसाध्य तथा दूरस्थ क्षेत्रों में कम प्रभावी होती है।

### अंतरराष्ट्रीय संधियाँ

- **अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्रदूषण निवारण संधि (MARPOL):** जहाजों से होने वाले तेल रिसाव को नियंत्रित करती है। यह 1970 के दशक की कई दुर्घटनाओं

के बाद 1978 में जारी प्रोटोकॉल से विकसित हुई। इसमें छह परिशिष्ट हैं, जो तेल, हानिकारक तरल पदार्थ, पैक किए गए खतरनाक सामान, सीवेज, कचरा और जहाजों से वायु प्रदूषण की रोकथाम को कवर करते हैं।

- **यूएनसीएलओएस (1982):** तटीय राज्यों को उनके विशेष आर्थिक क्षेत्र में समुद्री पर्यावरण की रक्षा का अधिकार देता है।
- **तेल प्रदूषण तैयारी, प्रतिक्रिया और सहयोग पर अंतरराष्ट्रीय संधि (OPRC, 1990):** रिसाव पर वैश्विक समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती है।
- **नागरिक दायित्व संधि (CLC, 1969):** जहाज मालिकों को तेल प्रदूषण से हुई हानि के लिए वित्तीय रूप से उत्तरदायी ठहराती है।
- **भारत की स्थिति:** भारत MARPOL संधि का हस्ताक्षरकर्ता है। इसे घरेलू कानून, जैसे मर्चेन्ट शिपिंग अधिनियम के माध्यम से लागू किया जाता है, जिसमें नागरिक दायित्व और प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्रों का प्रावधान है। भारतीय जहाज और भारतीय जलक्षेत्र में जहाज इन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।
  - बंदरगाह भी स्थानीय मामलों से निपटने हेतु तेल रिसाव आकस्मिकता योजनाएँ बनाए रखते हैं, जबकि भारतीय तटरक्षक बल प्रमुख एजेंसी है।

### सुझाव

- **निगरानी को सुदृढ़ करना:** उपग्रह निगरानी और एआई-आधारित रिसाव पहचान का उपयोग।
- **प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाना:** अधिक प्रदूषण प्रतिक्रिया पोत और विसर्जक भंडार।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त अभ्यास और त्वरित प्रतिक्रिया।
- **कठोर दायित्व प्रवर्तन:** सुनिश्चित करना कि प्रदूषण फैलाने वाले सफाई लागत वहन करें और प्रभावित समुदायों को क्षतिपूर्ति दें।
- **स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना:** तेल पर निर्भरता कम करना ताकि रिसाव का जोखिम घटे।
- **समुदाय जागरूकता:** तटीय जनसंख्या को तट सफाई और सुरक्षा में प्रशिक्षित करना।

Source: TH

## भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में संरचनात्मक घाटों का समाधान

### संदर्भ

- हाल ही में स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने संसद को सूचित किया कि 43 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं और 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए 11,682 एमबीबीएस सीटें तथा 8,967 स्नातकोत्तर सीटें स्वीकृत की गई हैं।
  - हालाँकि, संरचनात्मक घाटे अब भी भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को चुनौती देते हैं।

### भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में संरचनात्मक घाटे

- विशेषज्ञों की भारी रिक्तियाँ:** हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया 2022-23 के अनुसार ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) में विशेषज्ञों की रिक्ति दर लगभग 79.9% है।
  - केवल 4,413 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं जबकि आवश्यकता 21,964 विशेषज्ञों की है।
- चिकित्सा शिक्षा में निजी क्षेत्र:** 43 नए स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों में से 27 निजी क्षेत्र में हैं।
- निजी मेडिकल कॉलेज उच्च शुल्क और कैपिटेशन लागत लेते हैं।
- निजी संस्थानों से स्नातक सामान्यतः शहरी निजी प्रैक्टिस को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उन्हें सरकारी अस्पतालों या दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा देने का कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं होता।
- अकार्यशील सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHCs):** एक CHC लगभग 1.6 से 2 लाख जनसंख्या के लिए प्रथम रेफरल इकाई के रूप में कार्य करता है और इसमें 30 बिस्तर तथा पाँच विशेषज्ञ (चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, प्रसूति विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ एवं संज्ञाहरण विशेषज्ञ) होने अपेक्षित हैं।
  - हालाँकि, अधिकांश CHCs विशेषज्ञों की कमी के कारण कार्यशील नहीं हैं।
- दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों की खराब कार्य परिस्थितियाँ:** वहाँ नियुक्त चिकित्सकों को आवासीय सुविधाओं का अभाव, पेशेवर अलगाव, भारी कार्यभार और सीमित कैरियर विकास अवसरों का सामना करना पड़ता है।

- शिक्षक संकाय की कमी:** 18 एम्स में से 11 में शिक्षण और अनुसंधान संकाय पदों पर लगभग 40% रिक्तियाँ हैं।
- स्वास्थ्य बजट प्राथमिकताओं में असंतुलन:** संघीय स्वास्थ्य बजट पूंजीगत व्यय (अवसंरचना विस्तार) पर अत्यधिक केंद्रित रहता है, जबकि मानव संसाधन, निदान, आपातकालीन देखभाल और रखरखाव जैसे महत्वपूर्ण परिचालन घटक अपर्याप्त वित्तपोषित रहते हैं।

### सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने का महत्व

- सामाजिक न्याय और समानता:** सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा गरीब और कमजोर वर्गों के लिए प्राथमिक चिकित्सा स्रोत बनी रहती है। कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली क्षेत्रीय असमानताओं एवं सामाजिक बहिष्कार को गहरा करती है।
- जेब से होने वाला व्यय:** सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली महँगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भरता कम करती है। इससे विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय और घरेलू चिकित्सा ऋणग्रस्तता घटती है।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज:** सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों एवं सतत विकास लक्ष्य 3 (स्वास्थ्य और कल्याण) की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।

### सरकारी पहल

- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM):** ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अवसंरचना निर्माण हेतु योजना, ताकि भविष्य की महामारियों का प्रबंधन और निगरानी सुदृढ़ हो सके।
- आयुष्मान भारत कार्यक्रम:** स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWCs) के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) द्वारा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
- ई-संजीवनी के अंतर्गत टेलीमेडिसिन पहल:** दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य परामर्श हेतु डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।
- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP):** समर्पित केंद्रों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना।

## भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के उपाय

- **चिकित्सा शिक्षा को सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं से जोड़ना:** सरकार द्वारा प्रायोजित स्नातकोत्तर सीटों को सीधे CHCs और जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ रिक्तियों से जोड़ा जाना चाहिए।
  - सब्सिडी प्राप्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद निर्दिष्ट सार्वजनिक संस्थानों में सेवा देना अनिवार्य होना चाहिए।
- **ग्रामीण सेवा हेतु प्रोत्साहन:** कठिन क्षेत्रों में सेवा देने वाले चिकित्सकों को अतिरिक्त भत्ते, कैरियर उन्नति प्रोत्साहन, उन्नत पेंशन और सेवा लाभ दिए जाने चाहिए।
- **स्वास्थ्य संस्थानों का वर्गीकरण:** प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs) और CHCs को सामान्य क्षेत्र, कठिन क्षेत्र एवं अति कठिन क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जैसा कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण मेडिकल कॉर्प्स योजना के अंतर्गत किया गया था।
  - प्रोत्साहन को पदस्थापन की कठिनाई स्तर से जोड़ा जाना चाहिए।
- **ऑल आर नन सिद्धांत:** विशेषज्ञों को बिखरे हुए रूप में नहीं, बल्कि पूर्ण टीम के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।
- कार्यशील CHCs हेतु सभी पाँच प्रमुख विशेषज्ञों की एक साथ उपलब्धता आवश्यक है।
- चयनित CHCs में केंद्रित नियुक्ति उप-जिला स्तर पर प्रभावी रेफरल केंद्र बना सकती है।
- **स्वास्थ्य अवसंरचना:** निवेश की प्राथमिकता स्टाफ क्वार्टर, प्रसव कक्ष, ऑपरेशन थिएटर, गहन चिकित्सा इकाइयाँ, रक्त भंडारण सुविधाएँ, टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना पर होनी चाहिए।

## निष्कर्ष

- भारत का स्वास्थ्य संकट चिकित्सा शिक्षा, कार्यबल नियुक्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के बीच गहरे संरचनात्मक असंतुलन का परिणाम है।

- भारत को एक व्यापक रणनीति अपनानी चाहिए जो चिकित्सा शिक्षा को सार्वजनिक सेवा दायित्वों से जोड़े, ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करे और एक प्रेरित स्वास्थ्य कार्यबल तैयार करे जो समाज के सभी वर्गों को समान स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सक्षम हो।

Source: TH

## भारत का इस्पात क्षेत्र आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर

### संदर्भ

- भारत ने 2018 से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश होने का स्थान बनाए रखा है, जिससे यह एक प्रतिस्पर्धी और विस्तारशील वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता है।

### इस्पात के बारे में

- इस्पात एक मिश्रधातु है जो मुख्यतः लोहे, कार्बन (< 2%) और मैंगनीज (1%) से बना होता है, साथ ही इसमें सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा होती है।
- इस्पात और लोहे के विभिन्न रूप इस्पात क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ हैं:
  - **कच्चा इस्पात :** तरल इस्पात के ठोस होने पर बनने वाला प्रथम ठोस उत्पाद।
  - **तैयार इस्पात :** अर्ध-तैयार इस्पात के हॉट रोलिंग/फोर्जिंग से प्राप्त उत्पाद।
  - **हॉट मेटल, पिग आयरन और स्पंज आयरन:** लोहे के प्रमुख रूप जो इस्पात उद्योग की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं।

### इस्पात क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति

- भारत की वैश्विक कच्चे इस्पात उत्पादन में हिस्सेदारी 2014 में 5.2% से बढ़कर 2024 में 7.9% हो गई, जो इसकी बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है।
- वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार, भारत तैयार इस्पात का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।

- भारत में तैयार इस्पात की खपत 2014-15 में 77 मिलियन टन (MT) से बढ़कर 2025-26 में 163.7 MT हो गई।
- मार्च 2026 में भारत के तैयार इस्पात निर्यात के शीर्ष गंतव्य वियतनाम, बेलजियम और ताइवान थे, जो भारत के कुल निर्यात का 50% से अधिक थे।
- भारत का लक्ष्य 2047 तक 500 MT इस्पात उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है, जो दीर्घकालिक औद्योगिक विकास रणनीति का हिस्सा है।



### भारत के लिए इस्पात क्षेत्र का महत्व

- **औद्योगिक विकास की रीढ़:** इस्पात अवसंरचना, आवास, परिवहन, ऊर्जा, पूंजीगत वस्तुएँ और भारी उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देता है तथा भारत के GDP में लगभग 2% का योगदान करता है।
- **रोज़गार वृद्धि:** इस्पात उद्योग खनन, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और सहायक उद्योगों में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार उत्पन्न करता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा महत्व:** सुदृढ़ घरेलू इस्पात आधार रक्षा निर्माण, जहाज़ निर्माण, रेलवे और सामरिक अवसंरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है।

### इस्पात क्षेत्र को समर्थन देने वाले सरकारी सुधार

- **राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017:** इसका लक्ष्य 2030-31 तक कच्चे इस्पात क्षमता को 300 MTPA और उत्पादन को 255 MTPA तक बढ़ाना है।
- साथ ही, प्रति व्यक्ति तैयार इस्पात खपत को वर्तमान 61 किलोग्राम से बढ़ाकर 158 किलोग्राम करना।

- **विशेष इस्पात हेतु उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना:** यह भारत की विनिर्माण क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु कंपनियों को उनकी अतिरिक्त बिक्री पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- योजना FY 2024-25 से FY 2030-31 तक पाँच वर्षों के लिए प्रोत्साहन देती है।
- विशेष इस्पात एक मूल्यवर्धित उत्पाद है जिसे उन्नत प्रसंस्करण तकनीकों से बनाया जाता है ताकि अधिक सुदृढ़, टिकाऊपन, संक्षारण प्रतिरोध और प्रदर्शन मिले।
- **इस्पात ज़ोन की पहचान:** सरकार 12 प्रमुख इस्पात ज़ोन में लॉजिस्टिक्स और अवसंरचना परियोजनाओं को तीव्रता से आगे बढ़ा रही है।
  - रेल, सड़क और बंदरगाह विस्तार प्राथमिकता पर हैं ताकि बाधाओं को दूर कर विश्वस्तरीय बहु-मॉडल संपर्क विकसित किया जा सके।
- **इस्पात स्क्रेप पुनर्चक्रण नीति (2019):** घरेलू स्क्रेप की उपलब्धता बढ़ाने हेतु अधिसूचिता।
  - अप्रैल 2025 में सरकार ने कुछ गैर-मिश्रधातु और मिश्रधातु इस्पात फ्लैट उत्पादों पर 12% सुरक्षा शुल्क लगाया। इससे घरेलू निर्माताओं को आयात वृद्धि से सुरक्षा मिलती है और निष्पक्ष बाज़ार प्रतिस्पर्धा बनी रहती है।

### भारत के इस्पात क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन

- भारत इस्पात क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन कर रहा है ताकि 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसके लिए ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाना, ग्रीन हाइड्रोजन, स्क्रेप पुनर्चक्रण और कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण (CCUS) तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है।
- 2024 में भारत ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी पेश करने वाला प्रथम देश बना, जिसमें ग्रीन स्टील को उस इस्पात के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी उत्सर्जन तीव्रता प्रति टन तैयार इस्पात पर 2.2 टन CO<sub>2</sub> समकक्ष से कम हो।
- मार्च 2026 तक 89 इस्पात इकाइयों को ग्रीन स्टील प्रमाणन प्राप्त हुआ, जो 12.34 MT उत्पादन को कवर करता है।

### आगे की राह

- भारत का इस्पात क्षेत्र औद्योगिक विकास, अवसंरचना निर्माण और आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रमुख चालक बनकर उभरा है।
- बढ़ती उत्पादन क्षमता, विस्तारित निर्यात, विशेष इस्पात पर ध्यान और ग्रीन स्टील व डीकार्बोनाइजेशन के प्रति प्रतिबद्धता के साथ यह क्षेत्र 2047 तक भारत को एक विकसित एवं सतत अर्थव्यवस्था बनाने की दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

Source: AIR

## AMOC की मंदी और उसके निहितार्थ


### संदर्भ

- हाल के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक हिमनदों के तीव्र पिघलने के कारण 2100 तक लगभग 59% तक कमजोर हो सकता है।

### अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) के बारे में

- यह महासागरीय धाराओं की एक विशाल प्रणाली है जो ऊष्मा का परिवहन करती है।
  - गर्म, लवणीय जल सतह पर उत्तर की ओर प्रवाहित होता है (जैसे गल्फ स्ट्रीम)।
  - ठंडा, सघन जल उत्तरी अटलांटिक में नीचे डूबता है और गहराई में दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है।
- यह पृथ्वी पर विशाल मात्रा में ऊष्मा का स्थानांतरण करता है और वैश्विक मौसम पैटर्न को नियंत्रित करने में सहायता करता है।
- इसे प्रायः वैश्विक महासागरीय 'कन्वेयर बेल्ट' कहा जाता है।

- यह यूरोप की अपेक्षाकृत मध्यम जलवायु, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में वर्षा, मानसून प्रणाली, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र एवं वैश्विक ऊष्मा वितरण को प्रभावित करता है।



### AMOC क्यों कमजोर हो रहा है?

- **जलवायु परिवर्तन की भूमिका:** मानव-जनित वैश्विक ऊष्मीकरण आर्कटिक समुद्री बर्फ और ग्रीनलैंड हिमनद के पिघलने को तीव्र कर रहा है।
  - इससे उत्तरी अटलांटिक में बड़ी मात्रा में स्वच्छ जल (कम लवणीय और कम सघन) पहुँचता है।
  - यह आसानी से नहीं डूबता और AMOC को संचालित करने वाली डूबने की प्रक्रिया को बाधित करता है, जिससे संपूर्ण परिसंचरण प्रणाली धीमी हो जाती है।
- **AMOC एक जलवायु 'टिपिंग पॉइंट' के रूप में:** टिपिंग पॉइंट वह सीमा है जिसके बाद कोई प्रणाली अपरिवर्तनीय परिवर्तन से गुजरती है।
  - यदि AMOC एक महत्वपूर्ण स्तर से अधिक कमजोर हो जाता है, तो यह स्थायी रूप से सुस्त अवस्था में गिर सकता है और बाद में तापमान स्थिर होने पर भी पुनर्प्राप्ति असंभव हो सकती है।
- **संभावित वैश्विक परिणाम:** चरम मौसम घटनाएँ, उत्तरी अमेरिका में समुद्र-स्तर वृद्धि, यूरोप में ठंडे हालात, वैश्विक वर्षा प्रणालियों में व्यवधान और जलवायु अस्थिरता में वृद्धि।
  - विगत 50 वर्षों में AMOC पहले ही लगभग 15% कमजोर हो चुका है।

## WHY AMOC COLLAPSE COULD TRIGGER A GLOBAL CRISIS

- 1  **THE OCEAN'S THERMOSTAT:**  
The AMOC is a massive "conveyor belt" of ocean currents in the Atlantic that moves heat across the globe, heavily influencing worldwide weather patterns.
- 2  **A LOOMING COLLAPSE:**  
Melting Arctic ice is dumping fresh water into the Atlantic, acting as a brake on these currents. Scientists warn the system is slowing down and could cross a catastrophic "tipping point" of no return.
- 3  **GLOBAL CHAOS:**  
If the AMOC collapses, it will disrupt weather globally, trapping heat in ways that make phenomena like El Niño far more unpredictable and extreme.
- 4  **THREAT TO INDIA:**  
For India, a halted Atlantic conveyor belt would pull the tropical rain belt southward, severely destabilising the summer monsoon, triggering longer dry spells, and threatening the nation's agriculture.

### AMOC और एल नीनो के बीच संबंध

- यद्यपि AMOC अटलांटिक महासागर में मौजूद है, यह प्रशांत जलवायु प्रणाली को गहराई से प्रभावित करता है।
- कमजोर AMOC वैश्विक ऊष्मा वितरण को बदलता है, उत्तरी प्रशांत के कुछ हिस्सों को ठंडा करता है और वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न को बाधित करता है।
  - यह एल नीनो घटनाओं को तीव्र और अस्थिर बना सकता है।
- **प्रबल एल नीनो घटनाओं का प्रभाव:** 2015-16 और 2023-24 जैसी हाल की एल नीनो घटनाओं ने गंभीर सूखा, बाढ़, कृषि हानि और हीट वेव उत्पन्न की।
  - भारत के लिए, एल नीनो सामान्यतः दक्षिण-पश्चिम मानसून को कमजोर करता है और फसल उत्पादन को प्रभावित करता है।

### भारत के लिए AMOC का महत्व

- **भारतीय मानसून के लिए खतरा:** भारत की मानसून प्रणाली भूमि और महासागर के बीच तापमान अंतर तथा वैश्विक ऊष्मा परिसंचरण पैटर्न पर निर्भर करती है।
  - AMOC की मंदी उष्णकटिबंधीय वर्षा पट्टियों को दक्षिण की ओर खिसका देती है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आर्द्रता का प्रवाह घटता है।
  - कमजोर मानसूनी हवाएँ अरब सागर से आर्द्रता प्रवाह को कम करती हैं और मानसून वर्षा में विलंब या कमी लाती हैं।
- **कृषि संकट:** भारत की लगभग 50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और बड़े क्षेत्र वर्षा-आधारित हैं।

- कमजोर मानसून फसल उत्पादन घटा सकता है, किसानों की कठिनाइयाँ बढ़ा सकता है और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।
- **जल संकट:** भारत पहले से ही भूजल क्षय और असमान वर्षा वितरण का सामना कर रहा है। घटती मानसून वर्षा पीने योग्य जल की कमी, सिंचाई संकट और शहरी जल तनाव को तीव्र कर सकती है।
- **चरम घटनाओं में वृद्धि:** अस्थिर जलवायु प्रणाली अनियमित वर्षा, अचानक बाढ़, सूखा और हीट वेव उत्पन्न कर सकती है।

### सरकारी और वैज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ

- **भारत की जलवायु पहलें:** भारत ने जलवायु लचीलापन सुधारने हेतु कई उपाय शुरू किए हैं।
  - राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) में जल संरक्षण, सतत कृषि और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण पर मिशन शामिल हैं।
- **भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD):** मानसून पूर्वानुमान प्रणाली को सुदृढ़ करना और प्रारंभिक चेतावनी हेतु जलवायु मॉडल का उपयोग।
- **आपदा प्रबंधन प्रयास:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) बाढ़ तैयारी, सूखा प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन योजना पर केंद्रित है।

Source: IE

### संक्षिप्त समाचार

## JANANI प्लेटफॉर्म

### समाचारों में

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में संपन्न नवाचार और समावेशिता पर राष्ट्रीय सम्मेलन में JANANI (प्रसव-पूर्व, प्रसव-कालीन और नवजात शिशु की एकीकृत देखभाल की यात्रा) प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया।

### JANANI प्लेटफॉर्म के बारे में

- यह एक सेवा-उन्मुख डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे महिलाओं की प्रजनन आयु के दौरान उनके डिजिटल

- स्वास्थ्य अभिलेखों की व्यापक निगरानी और रखरखाव हेतु तैयार किया गया है।
- इसे वर्तमान प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (RCH) पोर्टल के उन्नत संस्करण के रूप में विकसित किया गया है।
- यह एक डिजिटल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म है जो QR-सक्षम मदर एंड चाइल्ड हेल्थ (MCH) कार्ड प्रस्तुत करता है, जिससे स्वास्थ्य अभिलेखों तक आसान और पोर्टेबल पहुँच संभव होती है।
- यह उच्च-जोखिम गर्भावस्था अलर्ट, पर्यवेक्षी डैशबोर्ड और समय पर हस्तक्षेप हेतु ड्यू-लिस्ट निर्माण के माध्यम से वास्तविक समय निगरानी का समर्थन करता है।
- यह U-WIN और POSHAN जैसे राष्ट्रीय प्रणालियों के साथ एकीकृत है, जिससे डेटा साझा करना और लाभार्थियों का समन्वित ट्रैकिंग संभव होता है।
- यह लाभार्थी पंजीकरण को ABHA, आधार या मोबाइल नंबरों के माध्यम से सक्षम करता है, स्व-पंजीकरण का समर्थन करता है और प्रवासी जनसंख्या के लिए देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करता है, साथ ही डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रोकता है।

स्रोत: PIB

## अनुच्छेद 26(b)

### संदर्भ

- दाऊदी बोहरा समुदाय के केंद्रीय बोर्ड ने समुदाय के धार्मिक प्रमुख की व्यक्तियों को बहिष्कृत करने की शक्ति पर श्रद्धा उठाया, यह कहते हुए कि यह श्रद्धालुओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
  - न्यायालय ने पूछा कि क्या बहिष्कार की शक्ति अनुच्छेद 26(b) के अंतर्गत संरक्षित नहीं है।

### अनुच्छेद 26(b) के बारे में

- अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है और प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भाग को अधिकार प्रदान करता है, जो लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
  - (a) धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों हेतु संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करना।

- (b) धर्म से संबंधित अपने मामलों का प्रबंधन करना।
- (c) चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करना।
- (d) ऐसी संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करना।

### आवश्यक धार्मिक प्रथाएँ

- आवश्यक धार्मिक प्रथाएँ वे होती हैं जो धर्म के लिए अत्यावश्यक या मौलिक होती हैं और यदि उनका पालन न किया जाए तो धर्म स्वयं बदल जाएगा।
- यह सिद्धांत मूलतः मद्रास बनाम शिरूर मठ मामले में प्रतिपादित किया गया था, जिसमें न्यायालय ने 'धार्मिक' और 'धर्मनिरपेक्ष' प्रथाओं के बीच अंतर किया।
- धार्मिक प्रथाएँ धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गईं, जबकि धर्मनिरपेक्ष गतिविधियाँ वे थीं जो धर्म से जुड़ी होती हैं परंतु वास्तव में उसका आवश्यक हिस्सा नहीं होतीं।

स्रोत: IE

## विद्यालय प्रबंधन समितियों के माध्यम से विद्यालय शासन का विकेंद्रीकरण

### संदर्भ

- शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप सभी विद्यालयों, जिनमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 12 तक) शामिल हैं, में विद्यालय प्रबंधन समितियों (SMCs) के गठन को अनिवार्य बनाने हेतु नए राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए हैं।

### नई SMC दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषताएँ

- SMCs का अनिवार्य गठन: देशभर के प्रत्येक विद्यालय को शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के एक माह के भीतर SMC गठित करनी होगी।
  - नया SMC ढाँचा पूर्ववर्ती विद्यालय प्रबंधन विकास समितियों (SMDCs) का स्थान लेगा।
- समुदाय-केंद्रित प्रतिनिधित्व:
  - कम से कम 75% सदस्य नामांकित छात्रों के अभिभावक या संरक्षक होंगे।

- न्यूनतम 50% सदस्य महिलाएँ होंगी ताकि विद्यालय शासन में लैंगिक समावेशी भागीदारी को बढ़ावा मिले।
- शेष 25% में निर्वाचित स्थानीय अधिकारी, शिक्षक, पूर्व छात्र और स्थानीय विशेषज्ञ जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और शिक्षाविद शामिल होंगे।
- सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) जैसे SC, ST, OBC और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) को अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
- SMC के अंतर्गत दो उप-समितियाँ गठित की जाएँगी:
  - विद्यालय भवन समिति (रखरखाव और निर्माण हेतु)।
  - शैक्षणिक समिति (शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु)।

### SMCs की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ

- SMCs को ₹30 लाख तक की सभी विद्यालय सिविल कार्यों को निष्पादित करने का अधिकार होगा।
  - इससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए SMCs सार्वजनिक निविदा प्रक्रिया (CPWD/PWD मैनुअल अनुसार) में भाग लेंगी ताकि गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
- SMC विद्यालय बजट की समीक्षा, वित्तीय अनियमितताओं की रोकथाम और प्राप्तियों व व्ययों का सटीक अभिलेख रखने के लिए भी उत्तरदायी होगी।
- सीखने के परिणामों को बढ़ावा देना: SMCs को तीन-वर्षीय विद्यालय विकास योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, जिसमें वार्षिक उप-योजनाएँ सम्मिलित होंगी।
- यह रोडमैप कक्षा-वार नामांकन अनुमान, अवसंरचना आवश्यकताएँ और अतिरिक्त शिक्षण स्टाफ की आवश्यकता का विवरण देगा।

स्रोत: TH

## परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB)

### संदर्भ

- परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना (KKNPP) की इकाइयों 5 और 6 में “मुख्य उपकरण स्थापना” की अनुमति प्रदान की है।

### परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB)

- AERB भारत का सर्वोच्च परमाणु नियामक प्राधिकरण है, जो देश में विकिरण और परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।
- इसकी स्थापना 1983 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी।
- AERB का नियामक अधिकार परमाणु ऊर्जा अधिनियम और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी नियमों एवं अधिसूचनाओं से प्राप्त होता है।
- बोर्ड परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।

### AERB के उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि आयनीकरण विकिरण और परमाणु ऊर्जा का उपयोग लोगों एवं पर्यावरण के लिए अनुचित जोखिम उत्पन्न न करे।
- लाइसेंसिंग, निरीक्षण और प्रवर्तन के माध्यम से परमाणु और विकिरण सुविधाओं का विनियमन करना।
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, विकिरण सुविधाओं और रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सुरक्षा मानक स्थापित करना।

### कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना (KKNPP)

- यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में भारत के दक्षिणी सिरे के निकट स्थित है।
- परियोजना न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा रूस के सहयोग से विकसित की जा रही है।

- **रिएक्टर प्रकार:** इसमें रूसी डिजाइन के VVER प्रकार प्रेसराइज्ड वाटर रिएक्टर (PWRs) का उपयोग होता है।
  - VVER का अर्थ है जल-जल ऊर्जा रिएक्टर।
  - ये रिएक्टर हल्के जल का उपयोग शीतलक और मॉडरेटर दोनों के रूप में करते हैं।
- **क्षमता और इकाइयाँ:** इस स्थल पर छह परमाणु रिएक्टर इकाइयाँ हैं और प्रत्येक रिएक्टर की क्षमता 1000 मेगावाट है।

स्रोत: TH

## वडिनार शिप रिपेयर सुविधा

पाठ्यक्रम: GS2 / स्वास्थ्य

### समाचारों में

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने गुजरात के वडिनार में ₹1,570 करोड़ के संयुक्त निवेश से एक जहाज मरम्मत सुविधा के विकास को मंजूरी दी है।

### परिचय

- वडिनार गुजरात के पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी में स्थित है।
- यह कांडला (दीनदयाल बंदरगाह) और मुंद्रा के निकट है, जो भारत के सबसे व्यस्त कार्गो बंदरगाहों में से हैं, तथा अरब सागर की प्रमुख शिपिंग लेनों के सापेक्ष अच्छी स्थिति में है।
- स्थल का प्राकृतिक गहरा ड्राफ्ट इसे बहुत बड़े जहाजों को ठहराने के लिए भौतिक रूप से उपयुक्त बनाता है, जिसे कई भारतीय बंदरगाह समायोजित नहीं कर सकते।

### क्या आप जानते हैं?

- वर्तमान में भारत वैश्विक जहाज मरम्मत बाजार का 1% से भी कम हिस्सा रखता है, जबकि लगभग 7-9% अंतरराष्ट्रीय शिपिंग यातायात इसकी तटरेखा से 300 समुद्री मील के अंदर से गुजरता है।
- घरेलू जहाज मरम्मत बाजार का अनुमानित मूल्य लगभग ₹2,000 करोड़ वार्षिक है।

स्रोत: TH

